अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल / समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या–न्याय–रिट / 2021–22 / 1581 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, नोएडा।
2–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 14 मार्च:2022**

विषय–मा0 उच्च न्यायालय में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–1077 दिनांक 06.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0उच्च न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रश्नगत प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि जिन मामलों में नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या का अनुमोदन शासन / विभागाध्यक्ष स्तर से होना है उन्हें सीधे डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा बिना उच्चाधिकारियों के अनुमोदन कराये ही मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है जिसके साथ रिट की प्रति भी नहीं प्रेषित की जा रही है, जबकि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के पत्र संख्या–283 दिनांक 19.02.2018 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ज्वाइण्ट कमिश्नर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा सीधे मुख्यालय पत्राचार नहीं किया जाये। उक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण अनावश्यक पत्राचार के साथ ही प्रकरण में विलम्ब भी होता है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ प्रकरण से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह जिन मामलों में नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या का अनुमोदन शासन / विभागाध्यक्ष से कराया जाना अपेक्षित है, उन मामलों में नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या हिन्दी में दो प्रतियों में रिट की दो प्रति सहित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर के अनुमोदनोपरान्त उनके माध्यम से ही मुख्यालय प्रेषित किए जायें। जिन मामलों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(अपील)वाणिज्य कर को भी पार्टी बनाया गया हो ऐसे मामलों में ज्वाइण्ट कमि़श्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर के अनुमोदन के साथ ही एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(अपील)वाणिज्य कर का अनुमोदन भी कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार ऐसे मामले जो आपके अधीनस्थ कार्यालयों से नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या का अनुमोदन शासन / विभागाध्यक्ष से कराये जाने हेतु मुख्यालय प्रेषित किये गये हो और उनका अनुमोदन अभी तक सम्बन्धित को प्राप्त न हुआ हो ऐसे मामलों को अविलम्ब इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाय, जिससे उन मामलों में आवश्यक कार्यवाही करायी जा सके। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

यह भी अपेक्षित है कि रिट के समस्त पैरा यदि कर निर्धारण अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित हो तो उक्त में शासन/कमिश्नर प्रोफार्मा पार्टी होंगे तथा उक्त का उल्लेख पत्र में स्पष्ट रुप से किया जायेगा। यदि रिट के किसी बिन्दु पर किसी अधिनियम,नियमावली,शासनादेश या अधिसूचना को चुनौती दी गयी हो अथवा किसी बिन्दु पर मुख्यालय/शासन के परामर्श की आवश्यकता हो तो पहले मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग से सम्पर्क कर उक्त परामर्श प्राप्त कर कर लिया जाय तथा तब उक्त को सम्मिलित करते हुए नैरेटिव व पैरावाईज कमेण्ट प्रेषित किया जाये।

.यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित सभी वादों की सूचना महाधिवक्ता उ0प्र0 की वेबसाईट – http://coutcases.up.nic.in पर उपलब्ध है । उक्त वेबसाईट से विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी लम्बित काउन्टर एफिडेविट का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(गीता सिंह)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–1.एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर प्रयागराज/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– ज्वाइण्ट कमिश्नर, आई0टी0 अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।